रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

# सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

**खण्ड 75] प्रयागराज, शनिवार, 6 नवम्बर, 2021 ई० (कार्तिक 15, 1943 शक संवत्) [संख्या 45**

### विषय-सूची

**हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।**


| विषय | पृष्ठ संख्या | वार्षिक चन्दा |
|---|---|---|
| सम्पूर्ण गजट का मूल्य | | रु0 |
| भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस | 807–812 | 3075 |
| भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया | 1501–1524 | 1500 |
| भाग 1–ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय | | |
| भाग 1–ख (2)–श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय | | |
| भाग 2–आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण | .. | 975 |
| भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख–नगर पंचायत, खण्ड ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ–जिला पंचायत | .. | 975 |
| भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश | .. | 975 |
| भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश | | 975 |
| भाग 6–(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये | | 975 |
| (ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट | | |
| भाग 6–क–भारतीय संसद के ऐक्ट | | |
| भाग 7–(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये | | 975 |
| (ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट | | |
| भाग 7–क–उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट | | |
| भाग 7–ख–इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां | .. | |
| भाग 8–सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि | 809 | 975 |
| स्टोर्स–पचेज विभाग का क्रोड़ पत्र | .. | 1425 |

## भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

# गोपन विभाग

अनुभाग-1

कार्यालय-ज्ञाप

12 अक्टूबर, 2021 ई0

सं0 1092/21-पच्चीस-1-7/2/7/95–सी0एक्स0(1)–मा0 न्यायमूर्ति श्रीमती मंजू रानी चौहान, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद का दिनांक 15 मार्च, 2021 से दिनांक 26 मार्च, 2021 तक (बारह) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश की माननीय राज्यपाल महोदया द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

सं0 1093/21-पच्चीस-1-7/2/7/95–सी0एक्स0(1)–मा0 न्यायमूर्ति श्रीमती संगीता चन्द्रा, उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ का दिनांक 14 जून, 2021 से दिनांक 18 जून, 2021 तक 05 (पांच) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश की माननीय राज्यपाल महोदया द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

सं0 1173/21-पच्चीस-1-7/2/7/95–सी0एक्स0(1)–मा0 न्यायमूर्ति श्री नरेन्द्र कुमार जौहरी, उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ के निम्नांकित तालिका में इंगित अवधियों के अवकाश की माननीय राज्यपाल महोदया द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है–

| क्रमांक | अवकाश की अवधि तथा प्रकृति |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1 | दिनांक 27 जुलाई, 2021 से दिनांक 30 जुलाई, 2021 तक 04 (चार) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश। |
| 2 | दिनांक 02 अगस्त, 2021 से दिनांक 06 अगस्त, 2021 तक 05 (पांच) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश। |
| 3 | दिनांक 09 अगस्त, 2021 से दिनांक 13 अगस्त, 2021 तक 05 (पांच) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश। |
| 4 | दिनांक 16 अगस्त, 2021 से दिनांक 19 अगस्त, 2021 तक 04 (चार) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश। |

आज्ञा से,
राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव।

# औद्योगिक विकास विभाग

अनुभाग-4

कार्यालय-ज्ञाप

12 अक्टूबर, 2021 ई0

सं0 5137/77-4-21-83यूपीसीडा/21–उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) में सहायक प्रबन्धक (सिविल) के पद पर कार्यरत रहे स्व0 रशीद खान गौरी की मृत्यु होने के फलस्वरूप मृतक आश्रित कोटे के

अन्तर्गत कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा के पत्रांक 2762/एसआईडीए/स्था0 पी0एफ0-ग353, भाग-1, दिनांक 09 सितम्बर, 2021 द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 (यथा संशोधित) को औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के लिये अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश दिनांक 30 जून, 2021 में उल्लिखित प्राविधान के दृष्टिगत श्री मो0 आसिम खान गौरी पुत्र स्व0 रशीद खान गौरी की मृतक आश्रित के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से कनिष्ठ सहायक के पद पर वेतनमान रु0 5,200-20,200 एवं ग्रेड पे रु0 2,000 में अस्थायी रूप से निम्नलिखित शर्तों के अधीन एतद्द्वारा नियुक्ति प्रदान की जाती है–

(1) मो0 आसिम खान गौरी को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(2) मो0 आसिम खान गौरी द्वारा मृतक सरकारी सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का अनुरक्षण किया जायेगा, जो कि स्वयं का अनुरक्षण करने में असमर्थ हैं और उक्त मृत सरकारी सेवक पर उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व आश्रित थी। यदि मो0 आसिम खान द्वारा अनुरक्षण करने से इन्कार किया जाता है तो उनकी सेवायें उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अनुसरण में समाप्त की जा सकती है।

(3) मो0 आसिम खान गौरी द्वारा 01 वर्ष के भीतर ही कम्प्यूटर प्रचालन में सी0सी0सी0 प्रमाण-पत्र के साथ हिन्दी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की अपेक्षित गति प्राप्त कर ली जायेगी और यदि वह ऐसा करने में विफल रहते हैं तो उनकी सामान्य वार्षिक वेतन वृद्धि रोक ली जायेगी तथा कम्प्यूटर प्रचालन में अपेक्षित प्रमाण-पत्र और टंकण में अपेक्षित गति प्राप्त करने के लिये उन्हें 01 वर्ष की अग्रेतर अवधि प्रदान की जायेगी और यदि बढ़ायी गयी अवधि में भी वह कम्प्यूटर प्रचालन में अपेक्षित प्रमाण-पत्र और टंकण में अपेक्षित गति प्राप्त करने में विफल रहते हैं तो उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेंगी।

(4) मो0 आसिम खान गौरी की सेवायें उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 2018 से संचालित होंगी।

2–उपर्युक्त शर्तों के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) में अपनी योगदान आख्या नियुक्ति-पत्र प्राप्त होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर अवश्य प्रस्तुत करना होगा अन्यथा नियुक्ति-पत्र निरस्त मान लिया जायेगा।

आज्ञा से,
अरविन्द कुमार,
अपर मुख्य सचिव।

## प्रशासनिक सुधार विभाग

अनुभाग-1

नियुक्ति

02 अगस्त, 2021 ई0

सं0 416/43-1-2021-62(1)95–उत्तर प्रदेश कार्यालय निरीक्षण सेवा नियमावली, 1990 के प्राविधानुसार गठित विभागीय प्रोन्नति चयन समिति की संस्तुति के क्रम में श्री विपिन कुमार गंगवार, निरीक्षक, राजकीय कार्यालय निरीक्षणालय, बरेली मण्डल, बरेली को वेतन बैण्ड-2 रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे रु0 6,600 (पे मैट्रिक्स लेवल-11, रु0 67,700-2,08,700) में प्रोन्नत करते हुये मुख्य निरीक्षक, राजकीय कार्यालय निरीक्षणालय, उ0प्र0, प्रयागराज के पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से नियमित नियुक्त किया जाता है।

2—श्री विपिन कुमार गंगवार, मुख्य निरीक्षक, राजकीय कार्यालय निरीक्षणालय, उ0प्र0, प्रयागराज को 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जाता है।

आज्ञा से,
जितेन्द्र कुमार,
प्रमुख सचिव।

## राज्य सम्पत्ति विभाग

अनुभाग-3

शुद्धि-पत्र

13 अक्टूबर, 2021 ई0

सं0 एम-2918/बत्तीस-3-2021-36/2020टी0सी0—राज्य सम्पत्ति अनुभाग-3 की विज्ञप्ति संख्या एम-2776/बत्तीस-3-2021-36/2020टी0सी0, दिनांक 01 अक्टूबर, 2021 द्वारा राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन लखनऊ, नई दिल्ली, मुम्बई एवं कोलकाता स्थित अतिथि गृहों के नामकरण से सम्बन्धित आदेश निर्गत किया गया था। उक्त विज्ञप्ति में त्रुटिवश राज्य अतिथि गृह, मीराबाई मार्ग, लखनऊ का नवीन नाम राज्य अतिथि गृह 'सरयु' मीराबाई मार्ग, लखनऊ अंकित है। उक्त विज्ञप्ति में अंकित राज्य अतिथि गृह 'सरयु' मीराबाई मार्ग, लखनऊ के स्थान पर राज्य अतिथि गृह 'सरयू' मीराबाई मार्ग, लखनऊ पढ़ा जाये।

2—राज्य सम्पत्ति अनुभाग-3 की विज्ञप्ति संख्या एम-2776/बत्तीस-3-2021-36/2020टी0सी0, दिनांक 01 अक्टूबर, 2021 द्वारा निर्गत आदेश के शेष प्राविधान यथावत् रहेंगे।

आज्ञा से,
डा0 वी0के0 सिंह,
विशेष सचिव एवं
राज्य सम्पत्ति अधिकारी।

## नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग

अनुभाग-4

कार्यालय-ज्ञाप

10 अक्टूबर, 2021 ई0

सं0 1305/76-4-2021—श्री संजय कुमार, सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई को नियमित चयनोपरान्त उनसे कनिष्ठ श्री नैयर आलम की अधिशासी अभियन्ता के पद पर पदोन्नति की तिथि दिनांक 06 सितम्बर, 2021 से अधिशासी अभियन्ता के पद पर नोशनल पदोन्नति तथा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई के पद पर वेतनमान वेतन बैण्ड 15,600 से 39,100 ग्रेड पे रु0 6,600 पे मैट्रिक्स लेवल-11) में पदोन्नति प्रदान करते हुये एक वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2—श्री संजय कुमार, लघु सिंचाई विभाग, मुख्यालय में योगदान करते हुये अग्रिम आदेशों/तैनाती तक पूर्ववत् अपने दायित्वों का निर्वहन करते रहेंगे।

3—उक्त अधिशासी अभियन्ता की तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,
डा0 अम्बरीष कुमार सिंह,
उप सचिव।

## राज्य योजना आयोग-2

[नियोजन विभाग]

कार्यालय-ज्ञाप

19 अगस्त, 2021 ई0

सं0 (1908/19)1/20/35-आ0-2/1088-63—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या 126/08/एस-2पी/2016-17, दिनांक 31 जनवरी, 2017 द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर कार्यभार ग्रहण करने

की तिथि दिनांक 02 मार्च, 2017 से राज्य योजना आयोग में अपर शोध अधिकारी (सां0) पर कार्यरत श्री मनोज कुमार गुप्ता को चयन वर्ष 2016-17 में शोध अधिकारी के रिक्त पद पर वेतन बैण्ड-3, वेतन रु0 15,600-39,100, ग्रेड वेतन रु0 5,400 में पदोन्नति प्रदान की गयी थी। श्री मनोज कुमार गुप्ता द्वारा संतोषजनक ढंग से 02 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप दिनांक 02 मार्च, 2019 से शोध अधिकारी के पद पर स्थायी किया जाता है।

आज्ञा से,
डा0 संजीव भारद्वाज,
संयुक्त सचिव।

# सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग

अनुभाग-13

नियुक्ति

11 अक्टूबर, 2021 ई0

सं0 1091/सत्ताईस-13-2020-2/16–लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियन्त्रण सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2013 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को श्री राज्यपाल सहायक अभियन्ता (सिविल), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के पद पर वेतन बैण्ड रु0 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखते हुये अस्थायी रूप से उन्हें उक्त पद पर नियुक्ति किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं तथा उन्हें निम्नांकित तालिका के स्तम्भ-9 में अंकित उपखण्ड/खण्ड में तैनात करते हैं–

तालिका

| क्र0 | चयन का क्र0 | नाम/पिता का नाम | जन्म तिथि | अनुक्रमांक | गृह जनपद | स्थाई पता | पत्र व्यवहार का पता | नियुक्ति हेतु पद स्थापित कार्यालय का नाम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | सर्वश्री– | | | | | | |
| 1 | 114 | आदित्य मिश्रा/प्रकाश मिश्रा | 26-08-1991 | 012107 | जयपुर, राजस्थान | प्लाट सं0-51ए, श्री राम नगर बी, श्याम नगर विस्तार, नगल, जैसा बोहरा, पोस्ट आफिस, जयपुर, राजस्थान-302040 | प्लाट सं0-51ए, श्री राम नगर बी, श्याम नगर विस्तार, नगल, जैसा बोहरा, पोस्ट आफिस, जयपुर, राजस्थान-302040 | चित्तौडगढ़ बांध निर्माण खण्ड बलरामपुर (प्रथम उपखण्ड) |
| 2 | 391 | राम मिलन गोंड/राजेन्द्र प्रसाद गोंड | 17-07-1986 | 013094 | वाराणसी | भुल्लनपुर, माण्डव, भुल्लनपुर, वाराणसी, उ0प्र0-221108 | पावर ग्रिड कालोनी, रूम नं0 बी-36, नियर सूखा विलेज, पतनबाई पास, जबलपुर, म0प्र0-482002 | सिंचाई खण्ड प्रथम बलिया (प्रथम उपखण्ड |

2–उक्त नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या 2381/2019 निखिल उपाध्याय व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 2611/2019 सत्य प्रकाश सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 2879/2019 मो0 वसीम रजा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, 2713/2019 रवीश कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, 2982/2019 गौरव वर्मा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, 2612/2019 मुकुन्द कान्त शुक्ला बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, 2613/2019 देवेन्द्र सिंह बनाम

उ0प्र0 राज्य व अन्य, 2615/2019 राजेन्द्र प्रसाद बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, 3322/2019 हरीश कुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, 2811/2019 अरूण कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, 841/2014 पंकज मौर्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या 2811/2019 अरनव कुमार दत्त व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

3—उक्त नव चयनित सहायक अभियन्ताओं को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे।

4—यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तें को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

5—उक्त अभ्यर्थियों को अपना कार्यभार, इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

6—अभ्यर्थियों को अपनी नियुक्ति/पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

7—उक्त अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

8—अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व संबंधित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता यह भली-भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थियों यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें।

9—सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के सम्बन्धित मण्डल/खण्ड के अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन तथा प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे—

(1) केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

(2) अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।

(3) राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो।

आज्ञा से,
टी0 वेंकटेश,
अपर मुख्य सचिव।

पी0एस0यू0पी0—32 हिन्दी गजट—भाग 1—2021 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

# सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

**प्रयागराज, शनिवार, 6 नवम्बर, 2021 ई० (कार्तिक 15, 1943 शक संवत्)**

**भाग 1-क**

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

### आवास एवं शहरी विभाग

अनुभाग-8

अधिसूचना

08 जुलाई, 2021 ई0

सं0 1109/आठ-8-2021-08विविध/2020–उत्तर प्रदेश राज्य के अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः) अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1974) द्वारा परिष्कारों सहित यथा पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11 सन् 1973) की धारा 16 के परन्तुक के साथ सपठित धारा 57 के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुये विकास प्राधिकरण निम्नलिखित उपविधि बनाते हैं–

### विकास प्राधिकरण (योजना के उल्लंघन में भूमि और भवनों का उपयोग जारी रखने हेतु) मॉडल उपविधि, 2021

**1–संक्षिप्त नाम एवं प्रसार**–(1) यह उपविधि विकास प्राधिकरण (योजना के उल्लंघन में भूमि और भवनों का उपयोग रखने हेतु) उपविधि, 2021 कहलायेगी।

(2) यह उपविधि सम्पूर्ण विकास क्षेत्र में लागू होगी।

(3) यह उपविधि गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावी होगी।

**2–परिभाषाएं**–(1) 'अधिनियम' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 से है।

(2) 'प्राधिकरण' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत गठित विकास प्राधिकरण से है।

(3) 'भवन' का तात्पर्य कोई संरचना अथवा संनिर्माण अथवा संरचना अथवा संनिर्माण का भाग, जो आवासीय औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा अन्य प्रयोजनों के लिये उपयोग किये जाने हेतु नियत हो, चाहे वास्तविक उपयोग में हो अथवा नहीं, से है।

(4) 'भवन निर्माण एवं विकास उपविधि' का तात्पर्य विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि (समय-समय पर यथासंशोधित) से है।

(5) 'विकास क्षेत्र' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत घोषित विकास क्षेत्र से है।

(6) 'राज्य सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है।

(7) 'योजना' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 8 व धारा 9 के अधीन तैयार वर्तमान में लागू महायोजना एवं परिक्षेत्रीय विकास योजना से है।

(8) 'स्वामी' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जिसका किसी भूमि या भवन पर विधिक अधिकार हो अथवा किराया प्राप्त करता हो अथवा परिसर किराये पर होने की दशा में किराया प्राप्त करने का हकदार हो एवं इसमें निम्नलिखित भी शामिल होंगे–

[क] कोई अभिकर्ता या व्यक्ति जो स्वामी की ओर से किराया प्राप्त करता हो।

[ख] कोई अभिकर्ता या व्यक्ति जो किराया प्राप्त करता हो या जिसे किसी भूमि या भवन का प्रबन्ध सुपुर्द किया गया हो जो धार्मिक या धर्मार्थ प्रयोजन के लिये हो।

[ग] किसी सक्षम प्राधिकार युक्त न्यायालय द्वारा नियुक्त कोई रिसीवर या प्रबन्धक जिसे परिसर में स्वामी के अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार दिया गया है।

(9) 'उपाध्यक्ष' का तात्पर्य विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष से है।

**3–उपविधि की प्रयोज्यता**–यह उपविधि किसी भूमि अथवा भवन का उपयोग उस प्रयोजन अथवा प्रयोजनों के लिये और उस सीमा तक, जहां तक उसका उपयोग योजना के लागू होने के दिनांक पर किया जा रहा था, ऐसे शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन, जो इस उपविधि में विहित है, के अन्तर्गत जारी रखने हेतु प्रयोज्य होगी।

**4–योजना के उल्लंघन में भूमि और भवनों का उपयोग जारी रखना**–योजना के लागू होने के दिनांक को स्थल पर विद्यमान किसी भूमि अथवा भवन का उपयोग उस प्रयोजन अथवा प्रयोजनों के लिये और उस सीमा तक, जहां तक उसका उपयोग योजना के लागू होने के दिनांक पर किया जा रहा था, प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र प्राप्त कर जारी रखा जा सकेगा।

परन्तु ग्रीन बेल्ट अथवा हरित क्षेत्रों (यथा-पार्क, खुले स्थल, आदि) के अन्तर्गत इस उपविधि के अधीन जिन उपयोगों को जारी रखने की अनुमति प्रदान की जाये, ऐसे उपयोगों से आच्छादित भूमि क्षेत्रफल के समतुल्य क्षेत्रफल आगामी महायोजना में आरक्षित किया जायेगा।

**5–प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु शर्तें एवं निर्बन्धन**–(1) योजना के उल्लंघन में भूमि अथवा भवन का उपयोग जारी रखने हेतु स्वामी द्वारा निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट-1) पर आवेदन-पत्र नियत शुल्क, जिसकी दर भवन मानचित्र अनुज्ञा शुल्क की दर के बराबर होगी, अदा करने की रसीद सहित उपाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जायेगा।

शुल्क की गणना, जिस प्रयोजन हेतु भूमि अथवा भवन का उपयोग जारी रखा जाना है, उस उपयोग के लिये निर्धारित भवन मानचित्र अनुज्ञा शुल्क की दर के आधार पर की जायेगी जिसकी वर्तमान दरें निम्नानुसार है–

| भू-उपयोग / क्रिया | प्रोसेसिंग फीस अच्छादित क्षेत्रफल पर (प्रति वर्ग मी0) |
|---|---|
| | रु0 |
| व्यवसायिक / शिापिंग काम्प्लेक्स / शापिंगमाल, सिनेमा / मल्टीप्लेक्स, मिश्रित, कार्यालय उपयोग | 30.00 |
| ग्रुप हाउसिंग | 15.00 |
| भूखण्डीय आवासीय एवं अन्य उपयोग | 5.00 |

(2) आवेदन-पत्र के साथ स्वामी द्वारा स्थल का मानचित्र, जिसमें की-प्लान, साइट प्लान एवं वर्तमान योजना में स्थिति का मानचित्र शामिल हो, जमा किया जायेगा।

(3) समस्त मानचित्र अनुज्ञापित व्यक्ति द्वारा तैयार किये जायेंगे और उनके द्वारा नाम, पता, योग्यता और काउन्सिल ऑफ आर्कीट्रेक्चर की मेम्बरशिप संख्या अथवा आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी अनुज्ञप्ति संख्या अंकित करते हुये हस्ताक्षर किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त उक्त मानचित्र स्वामी द्वारा भी हस्ताक्षरित होंगे।

(4) आवेदन-पत्र यथास्थिति स्वामित्व सम्बन्धी अभिलेखों अथवा रजिस्ट्रीकृत विलेख की प्रति के साथ प्रस्तुत किया जायेगा।

(5) ओवदन-पत्र के साथ स्वामी को योजना प्रभावी होने की तिथि से पूर्व स्थल पर किये जा रहे भूमि अथवा भवन के उपयोग के सम्बन्ध में निम्नलिखित में से कोई एक अथवा प्राधिकरण की मांग पर अतिरिक्त वैधानिम प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[क] सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत भवन मानचित्र की प्रति।

[ख] निर्माण पूर्ण होने के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत पूर्णता प्रमाण-पत्र की प्रति (जहां लागू हो)।

[ग] भूमि के विद्यमान उपयोग के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत लाइसेन्स अथवा अन्य अभिलेख।

[घ] अधिनियम के लागू होने अथवा नया विकास क्षेत्र घोषित होने अथवा विकास क्षेत्र का विस्तार होने की तिथि से पूर्व विद्यमान भवन के सम्बन्ध में नगर निगम अथवा नगरपालिका परिषद् द्वारा जारी गृह कर या जल कर की रसीद अथवा विद्युत विभाग द्वारा जारी विद्युत बिल अथवा किसी अन्य विभाग द्वारा वसूल किये जाने वाले कर अथवा शुल्क की रसीद अथवा कर निर्धारण से सम्बन्धित अभिलेख अथवा उत्तर प्रदेश लैण्ड कन्ट्रोल ऐक्ट, 1945 के अधीन जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र अथवा कम्पनी अधिनियम, 1956 अथवा किसी अन्य अधिनियम के अधीन इकाई के पंजीकरण का प्रमाण-पत्र, जिससे उक्त भवन की आयु, उपयोग एवं सीमा की पुष्टि होती हो।

[च] भूमि अथवा भवन के विद्यमान उपयोग की पुष्टि के सम्बन्ध में अन्य कोई अभिलेख, जिसे शासन द्वारा अनुमन्य किया जाये।

(6) आवेदन-पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ऐसी रीति द्वारा, जिसे उपाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जाये, यह सुनिश्चित किया जोयगा कि योजना प्रभावी होने की तिथि को स्वामी द्वारा मौके पर भूमि अथवा भवन का उपयोग उस प्रयोजन अथवा प्रयोजनों के लिये और उस सीमा तक, जिसके सम्बन्ध में इस उपविधि के प्रस्तर संख्या 5 (5) (घ) में निर्दिष्ट वैधानिक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये गये हैं, किया जा रहा है तथा यह योजना लागू होने से पूर्व के उपयोग के अनुरूप है।

(7) योजना प्रभावी होने की तिथि को यदि स्वामी द्वारा मौके पर भूमि अथवा भवन का उपयोग प्रदूषणकारी अथवा संकटमय उद्योग अथवा इस प्रकृति की अन्य क्रियाओं हेतु किया जा रहा हो, तो उसे जारी रखने हेतु सम्बन्धित विभागों यथा-पर्यावरण, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अग्निशमन, विद्युत सुरक्षा, इत्यादि से अनापत्ति प्राप्त की जानी अनिवार्य होगी। वांछित अनापत्ति प्राप्त होने के उपरान्त पूर्व से संचालित ऐसी क्रियाओं को तब तक जारी रखने की अनुमति प्राधिकरण द्वारा इस शर्त के अधीन दी जायेगी कि इन क्रियाओं से जनसामान्य के स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ता हो अथवा सम्बन्धित विभाग द्वारा इन क्रियाओं के संचालन हेतु अनापत्ति देने से इंकार न कर दिया जाये।

(8) इस उपविधि के प्रस्तर संख्या 5(6) की पुष्टि तथा आवश्यकतानुसार प्रस्तर संख्या 5(7) के अनुसार अनापत्ति प्राप्त होने के उपरान्त उपाध्यक्ष अथवा उसके द्वारा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट-2) पर प्रमाण-पत्र निर्गत किया जायेगा। आवेदन-पत्र का अन्तिम रूप से निस्तारण अधिकतम 30 दिवस की अवधि में किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

**6—व्यावृत्तियां**—(1) इस उपविधि के अधीन प्राधिकरण से प्राप्त प्रमाण-पत्र से सम्बन्धित भूमि अथवा भवन में अनुरक्षण, सुधार अथवा अन्य परिवर्तन के कार्य, जोकि मात्र भवन के आन्तरिक भाग को प्रभावित करते हों तथा जो भवन के वाह्य दृश्य को तात्विक रूप से प्रभावित न करते हों, अनुमन्य होंगे।

(2) इस उपविधि के प्रस्तर-6 (1) में उल्लिखित अनुरक्षण, सुधार अथवा अन्य परिवर्तन भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के प्रस्तर-3.1.1 (क) 'अनुज्ञा में छूट' में उल्लिखित कार्यों हेतु ही अनुमन्य होंगे।

**7—शर्तों एवं निबन्धनों का उल्लंघन**—(1) भूमि अथवा भवन का उपयोग, प्रमाण-पत्र में उल्लिखित प्रयोजन अथवा प्रयोजनों के लिये एवं उस सीमा तक ही जारी रखा जायेगा तथा इसे परिवर्तित करने अथवा विद्यमान निर्माण को ध्वस्त कर नया निर्माण करने अथवा अतिरिक्त निर्माण करने से पूर्व प्रभावी योजना तथा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार प्राधिकरण से नियमानुसार मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा।

(2) इस उपविधि के प्रस्तर संख्या 5 के अधीन निर्गत प्रमाण-पत्र में उल्लिखित शर्तों के उल्लंघन की दशा में उपाध्यक्ष को उक्त प्रमाण-पत्र को निरस्त करने का अधिकार होगा। परन्तु निरस्तीकरण से पूर्व स्वामी को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जायेगा। प्रमाण-पत्र निरस्त होने की दशा में स्थल पर विद्यमान अवैध निर्माण अथवा उपयोग हेतु स्वमी के विरुद्ध अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

## परिशिष्ट-1

## उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा 16 के परन्तुक के अधीन योजना के उल्लंघन में भूमि एवं भवनों का उपयोग जारी रखने हेतु प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिये आवेदन-पत्र का प्रारूप

(उपविधि का प्रस्तर संख्या 5 (1))

सेवा में,

उपाध्यक्ष,

.....विकास प्राधिकरण,

.....

महोदय,

मैं एतद्द्वारा यह आवेदन-पत्र (दो प्रतियों में) प्रस्तुत कर रहा हूं कि मैं सजरा संख्या.....भूखण्ड संख्या..... उपनिवेश/मार्ग.....मोहल्ला/बाजार.....नगर.....में अधिनियम की धारा 16 के परन्तुक के अधीन

योजना के उल्लंघन में भूमि अथवा भवन का उपयोग जारी रखने हेतु प्रमाण-पत्र प्राप्त करने का इच्छुक हूं। अतः उपविधि के प्रस्तर संख्या 5 (1) के अनुसार आवेदन के साथ मानचित्रों एवं विशिष्टयों (चार प्रतियों में), जो मेरे द्वारा हस्ताक्षरित हैं और अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति.....(नाम मोटे अक्षरों में).....काउन्सिल ऑफ आर्कीट्रेक्चर की मेम्बरशिप संख्या/आवास बन्धु द्वारा जारी अनुज्ञप्ति संख्या.....द्वारा भी हस्ताक्षरित है, निम्नलिखित दस्तावेज भी जमा कर रहा हूं–

1–भूमि/भवन की स्थिति का "की-प्लान" (न्यूनतम 1:10.000 के पैमाने पर)।

2–साइट प्लान (न्यूनतम 1:1000 के पैमान पर)।

3–स्थल पर विद्यमान भवन का मानचित्र (यदि लागू हो)।

4–वर्तमान प्रभावी योजना में स्थल की स्थिति का मानचित्र।

5–पूर्व स्वीकृत योजना (यदि लागू हो) में स्थल की स्थिति का मानचित्र।

6–भूमि/भवन का स्वामित्व प्रमाण-पत्र।

7–स्थल पर विद्यमान निर्मित भवन के प्रयोजन की वैधता से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र (उपविधि का प्रस्तर संख्या 5(5)।

8–आवेदन शुल्क जमा करने की प्रमाणित प्रतिलिपि।

9–अन्य आवश्यक सूचनायें एवं दस्तावेज/अनापत्ति प्रमाण-पत्र (यदि कोई हो)।

मैं निवेदन करता हूं कि योजना के उल्लंघन में भूमि एवं भवनों का उपयोग जारी रखने हेतु प्राधिकरण द्वारा प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाये।

**संलग्नक**–उपरोक्तानुसार।

स्वामी के हस्ताक्षर.....

स्वामी का नाम.....

(मोटे अक्षरों में)

दिनांक.....

स्वामी का पता.....

स्थान.....

## परिशिष्ट-2

## उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा 16 के परन्तुक के अधीन योजना के उल्लंघन में भूमि एवं भवनों का उपयोग जारी रखने हेतु प्राधिकरण द्वारा निर्गत किये जाने वाले प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिये आवेदन-पत्र का प्रारूप

(उपविधि का प्रस्तर संख्या 5 (8))

सेवा में,

.....

.....

महोदय/महोदया,

आपके द्वारा अधिनियम की धारा 16 के परन्तुक के अधीन योजना के उल्लंघन में भूमि अथवा भवनों का उपयोग जारी रखने के निमित प्राधिकरण से प्रमाण–पत्र समाप्त करने हेतु दिनांक .....को आवेदन किया गया है,

जिसके परीक्षणोपरान्त संलग्न मानचित्र में वर्णित विवरण के अनुसार आपको वर्तमान में प्रभावी योजना के उल्लंघन में भूमि/भवन उपयोग निम्नलिखित शर्तों के अधीन जारी रखने हेतु अनुमति प्रदान की जाती है–

1–भूखण्ड का क्षेत्रफल.....(वर्ग मीटर में)।

2–भूखण्ड पर निर्मित भवन का तल वार आच्छादित क्षेत्रफल.....(वर्ग मीटर में)।

3–वर्तमान योजना में स्थल का भू-उपयोग।

4–वर्तमान में प्रभावी योजना के उल्लंघन में जारी रखने हेतु अनुमन्य किया गया भूमि/भवन का उपयोग.....

5–यदि प्रदूषणकारी/संकटकारी औद्योगिक अथवा इस प्रकृति के अन्य उपयोग को जारी रखने की अनुमति प्रदान की गयी है, तो ऐसे उपयोग को समाप्त करने अथवा योजना में प्रस्तावित भू-उपयोग के अनुरूप करने अथवा अन्यत्र चिनहांकित स्थल पर स्थानान्तरण हेतु निर्धारित अधिकतम अवधि.....(वर्ष)।

6–सम्बन्धित भूमि एवं भवन में अनुरक्षण सुधार अथवा अन्य परिवर्तन के कार्य, जो केवल मात्र भवन के आन्तरिक भाग को प्रभावित करते हों अथवा जो भवन के वाह्य दृश्य को तात्विक रूप से प्रभावित न करते हों, अनुमन्य होंगे।

7–भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के प्रस्तर-3.1.1 "अनुज्ञा से छूट" में उल्लिखित कार्यों हेतु अनुमन्य होगी।

8–.....विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिनांक.....में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।

9–भवन अथवा भूमि का उपयोग इस प्रमाण-पत्र में उल्लिखित प्रयोजन अथवा प्रयोजनों के लिये और उस सीमा तक ही जारी रखा जायेगा तथा इसे परिवर्तित करने, विद्यमान निर्माण को ध्वस्त कर नया निर्माण करने अथवा अतिरिक्त निर्माण करने से पूर्व प्रभावी योजना तथा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार प्राधिकरण से नियमानुसार मानचित्र स्वीकृत करना होगा।

10–इस प्रमाण-पत्र में उल्लिखित शर्तों के उल्लंघन की दशा में उपाध्यक्ष को इस प्रमाण-पत्र को निरस्त करने का अधिकार होगा प्रमाण-पत्र निरस्त होने की दशा में स्थल पर किये गये अवैध निर्माण/उपयोग हेतु आवेदक के विरुद्ध अधिनियम की संसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

**संलग्नक**–मोहर युक्त मानचित्र की प्रति।

उपाध्यक्ष/अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम एवं पदनाम.....

मोहर.....

दिनांक.....

दीपक कुमार,

प्रमुख सचिव।

## सम्भल के जिलाधिकारी की आज्ञायें

19 जून, 2021 ई0

सं0 04/ डी0एल0आर0सी/2020-21–शासनादेश संख्या 32/744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या यू0ओ0 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं संजीव रंजन, जिलाधिकारी सम्भल, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को

जो अब तक उपरोक्त दिनांक के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 06 में उल्लिखित ग्राम बल्लमपुर, परगना व तहसील चन्दौसी के प्रबन्धन में निहित थी। गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना निर्माण हेतु फिर से अपेन अधिकार में लेता हूं–

**अनुसूची**

| क्र0 सं0 | जिला | तहसील | परगना | ग्राम | गाटा संख्या | क्षेत्रफल | भूमि की श्रेणी | विवरण प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनग्रहण की जा रही है |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | हेक्टेयर | | |
| 1 | सम्भल | चन्दौसी | चन्दौसी | बल्लमपुर | 1/0.063 16/0<br>017-सेक्टर मार्ग 29/0.<br>043-चक मार्ग 311/0.<br>008-नाली 325/0.<br>0109-रास्ता 395/0.<br>056-चक मार्ग 403/0.<br>001-नाली 385/0.<br>025-नाली 306/0.<br>015-चक मार्ग 431/0.<br>048-रास्ता 474/0.<br>073-सेक्टर मार्ग503/0.<br>046-चक मार्ग | 0.504 | ग्राम समाज की भूमि | गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु निर्माण के लिये। |

उपरोक्त राजस्व अभिलेखों में अमल-दरामद किया जाये।

सं0 05/डी0एल0आर0सी/2020-21–शासनादेश संख्या 32/744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, संजीव रंजन, जिलाधिकारी सम्भल, निम्न अनुसूची में

उल्लिखित भूमि को जो अब तक उपरोक्त दिनांक के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 06 में उल्लिखित ग्राम राजपुर, परगना व तहसील चन्दौसी के प्रबन्धन में निहित थी। गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना निर्माण हेतु फिर से अपने अधिकार में लेता हूं–

**अनुसूची**

| क्र0 सं0 | जिला | तहसील | परगना | ग्राम | गाटा संख्या | क्षेत्रफल | भूमि की श्रेणी | विवरण प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनग्रहण की जा रही है |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | हेक्टेयर | | |
| 1 | सम्भल | चन्दौसी | चन्दौसी | राजपुर | गाटा संख्या 28/0.<br>255-गूल 77/0.<br>230-गूल 71/0.<br>127-रास्ता<br>421/0.035-रास्ता<br>275/0.084-रास्ता | 0.531 | ग्राम समाज की भूमि | गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु निर्माण के लिये |

उपरोक्त राजस्व अभिलेखों में अमल-दरामद किया जाये।

सं0 06/डी0एल0आर0सी/2020-21–शासनादेश संख्या 32/744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, संजीव रंजन, जिलाधिकारी सम्भल, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को जो अब तक उपरोक्त दिनांक के शासनादेश के अनुसार निम्न अनुसूची के स्तम्भ 06 में उल्लिखित ग्राम अतरासी, परगना व तहसील चन्दौसी के प्रबन्धन में निहित थी। गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना निर्माण हेतु फिर से अपने अधिकार में लेता हूं–

**अनुसूची**

| क्र0 सं0 | जिला | तहसील | परगना | ग्राम | गाटा संख्या | क्षेत्रफल | भूमि की श्रेणी | विवरण प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनग्रहण की जा रही है |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | हेक्टेयर | | |
| 1 | सम्भल | चन्दौसी | चन्दौसी | अतरासी | गाटा संख्या 431मि0/0. | 0.404 | ग्राम समाज की भूमि | गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु निर्माण के लिये। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सम्भल | चन्दौसी | चन्दौसी | अतरासी | 080-चकमार्ग<br>441-मि0/0.<br>001-चकमार्ग<br>580-मि0/0.<br>0145-चकमार्ग<br>628-मि0/0.<br>066-चकमार्ग<br>643-मि0/0.<br>112-चकमार्ग | | | |

उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेखों में अलग-दरामद किया जाये।

सं0 07/डी0एल0आर0सी/2020-21—शासनादेश संख्या 32/744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, संजीव रंजन, जिलाधिकारी सम्भल, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को जो अब तक उपरोक्त दिनांक के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 06 में उल्लिखित ग्राम खिरनी मुहीउद्दीनपुर, परगना व तहसील सम्भल के प्रबन्धन में निहित थी। गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना निर्माण हेतु फिर से अपने अधिकार में लेता हूं—

## अनुसूची

| क्र0 सं0 | जिला | तहसील | परगना | ग्राम | गाटा संख्या | | क्षेत्रफल | भूमि की श्रेणी | विवरण प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनग्रहण की जा रही है |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | हेक्टेयर | | |
| 1 | सम्भल | सम्भल | सम्भल | खिरनी मुहीउद्दीन पुर | गाटा संख्या<br>015-नाली<br>069-मार्ग<br>020-नाली<br>010-नवीन परती | 04/0.<br>45/0.<br>46/0.<br>49/0. | 1.777 | ग्राम समाज की भूमि | गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु निर्माण के लिये। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सम्भल | सम्भल | सम्भल | खिरनी मुहीउद्दीनपुर | 50 / 0.004-मार्ग<br>53 / 0.053-नाली<br>51 / 0.054-चकमार्ग<br>52 / 0.048-मार्ग<br>76 / 0.064-मार्ग<br>236 / 0.041-नाली<br>237 / 0.035-चकमार्ग<br>247 / 0.030-नवीन परती 255 / 0.012-नाली, 256 / 0.030-मार्ग 445 / 0.048-चकमार्ग 483 / 0.040-चकमार्ग 446 / 0.008-मार्ग 447 / 0.003-चकमार्ग 448 / 0.003-नाली, 449 / 0.036-मार्ग 479 / 0.048-मूल 501 / 0.008-बंजर 500 / 0.016-चकमार्ग 499 / 0.040-गूल 498 / 0.026-चकमार्ग 515 / 0.039-नाली, 516 / 0.321-मार्ग 521 / 0.036-नाली, 529 / 0.025-नाली, 792 / 0.019-चकमार्ग 802 / 0.037-चकमार्ग 799 / 0.043-नाली, 800 / 0. | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सम्भल | सम्भल | सम्भल | खिरनी मुहीउद्दीनपुर | 085-चकमार्ग, 809 / 0.<br>025-चकमार्ग, 816 / 0.<br>020-चकमार्ग, 827 / 0.<br>021-चकमार्ग, 825 / 0.<br>080-नवीन परती<br>824 / 0.142-तालाब<br>826 / 0.010-चकमार्ग<br>829 / 0.015-मार्ग<br>830 / 0.008-नाली<br>225 / 0.001-चकमार्ग<br>226 / 0.001-नाली<br>518 / 0.033-चकमार्ग<br>561 / 0.003-बंजर<br>782 / 0.006-मार्ग<br>786 / 0.007-चकमार्ग<br>789 / 0.018-चकमार्ग<br>813 / 0.015-चकमार्ग<br>814 / 0.015-नाली | | | |

उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेखों में अमल-दरामद किया जाये।

सं0 08 / डी0एल0आर0सी / 2020-21—शासनादेश संख्या 32 / 744 / एक-1-2016-20(5) / 2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35 / 740 / एक-1-2016-20(5) / 2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, संजीव रंजन, जिलाधिकारी सम्भल, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को

जो अब तक उपरोक्त दिनांक के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 06 में उल्लिखित ग्राम निबौरा, परगना व तहसील सम्भल के प्रबन्धन में निहित थी। गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना निर्माण हेतु फिर से अपने अधिकार में लेता हूं–

## अनुसूची

| क्र0 सं0 | जिला | तहसील | परगना | ग्राम | गाटा संख्या | क्षेत्रफल | भूमि की श्रेणी | विवरण प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनग्रहण की जा रही है |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | हेक्टेयर | | |
| 1 | सम्भल | सम्भल | सम्भल | निबौरा | 565/0.034 | 0.013 | नाली/श्रेणी 6(1) | गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु निर्माण के लिये। |
| | | | | | 570/0.164 | 0.025 | चकमार्ग/श्रेणी 6(2) | |

उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेखों में अमल-दरामद किया जाये।

सं0 10/डी0एल0आर0सी/2020-21–शासनादेश संख्या 32/744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं संजीव रंजन, जिलाधिकारी सम्भल, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को जो अब तक उपरोक्त दिनांक के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 06 में उल्लिखित ग्राम रायपुर कलां, परगना व तहसील चन्दौसी के प्रबन्धन में निहित थी। गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना निर्माण हेतु फिर से अपने अधिकार में लेता हूं–

## अनुसूची

| क्र0 सं0 | जिला | तहसील | परगना | ग्राम | गाटा संख्या | क्षेत्रफल | भूमि की श्रेणी | विवरण प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनग्रहण की जा रही है |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | हेक्टेयर | | |
| 1 | सम्भल | चन्दौसी | चन्दौसी | रायपुर कलां | गाटा संख्या-74मि0/0.008-चकरोड, रास्ता, | 0.339 | ग्राम समाज की भूमि | गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु निर्माण के लिये |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सम्भल | चन्दौसी | चन्दौसी | रायपुर कलां | 6/0.057-चकरोड, 8मि0/0.<br>016-चकरोड, 58मि0/0.<br>066-रास्ता, 55/0.<br>006-गूल, 139/0.<br>027-सर्विस रोड, | | | |

उपरोक्त राजस्व अभिलेखों में अमल-दरामद किया जाये।

28 जून, 2021 ई0

सं0 11/डी0एल0आर0सी/2020-21–शासनादेश संख्या 32/744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, संजीव रंजन, जिलाधिकारी सम्भल, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को जो अब तक उपरोक्त दिनांक के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 06 में उल्लिखित ग्राम ढाढौल, परगना व तहसील चन्दौसी के प्रबन्धन में निहित थी। गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना निर्माण हेतु फिर से अपने अधिकार में लेता हूं–

## अनुसूची

| क्र0 सं0 | जिला | तहसील | परगना | ग्राम | गाटा संख्या | क्षेत्रफल | भूमि की श्रेणी | विवरण प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनग्रहण की जा रही है |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | हेक्टेयर | | |
| 1 | सम्भल | चन्दौसी | चन्दौसी | ढाढौल | गाटा संख्या-212मि0/0.<br>016-गूल, 249/0.<br>005-रास्ता, 170/0.<br>169-रास्ता, 175/0.<br>079-रास्ता, 196मि0/0. | 0.582 | ग्राम समाज की भूमि | गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु निर्माण के लिये |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सम्भल | चन्दौसी | चन्दौसी | ढाढौल | 049-गूल, 194/279/0.<br>039-गूल, 95/0.<br>171-रास्ता, 207/0.<br>028-सर्विस रोड, 91/0.<br>026-सर्विस रोड, | | | |

उपरोक्त राजस्व अभिलेखों में अमल-दरामद किया जाये।

सं0 12/डी0एल0आर0सी/2020-21–शासनादेश संख्या 32/744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, संजीव रंजन, जिलाधिकारी सम्भल, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को जो अब तक उपरोक्त दिनांक के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 06 में उल्लिखित ग्राम मिर्जापुर अख्तरा, परगना व तहसील चन्दौसी के प्रबन्धन में निहित थी। गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना निर्माण हेतु फिर से अपने अधिकार में लेता हूं–

## अनुसूची

| क्र0 सं0 | जिला | तहसील | परगना | ग्राम | गाटा संख्या | क्षेत्रफल | भूमि की श्रेणी | विवरण प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनग्रहण की जा रही है |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | सम्भल | चन्दौसी | चन्दौसी | मिर्जापुर अख्तरा | 20/0.016-चकमार्ग, 21/0.<br>010-गूल,<br>29/0.043-चकमार्ग, 36/0.004-चकमार्ग, 41/0.<br>014-नाली, 43/0.018-चकमार्ग | हेक्टेयर<br>0.831 | ग्राम समाज की भूमि | गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु निर्माण के लिये। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सम्भल | चन्दौसी | चन्दौसी | मिर्जापुर अख्तरा | 51 / 0.049-चकमार्ग, 220 / 0.<br>052-रास्ता, 523 / 0.<br>005 / 0-चकमार्ग<br>461 / 0.010-मुख्य मार्ग, 470 / 0.<br>057-चकमार्ग, 478 / 0.<br>073-रास्ता<br>535 / 0.009-चकमार्ग, 549 / 0.<br>017-चकमार्ग, 555 / 0.<br>016-चकमार्ग, 559 / 0.004-चकमार्ग<br>571 / 0.053-गूल,<br>577 / 0.028-चकमार्ग, 591 / 0.<br>045-नाली 592 / 0.010-चकरोड,<br>602 / 0.011-चकमार्ग, 605 / 0.<br>031-चकमार्ग, 608 / 0.030-नाली<br>609 / 0.032-चकमार्ग, 635 / 0<br>028-सर्विस रोड, 642 / 0.<br>024-चकमार्ग<br>773 / 0.018-नाली | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सम्भल | चन्दौसी | चन्दौसी | मिर्जापुर अख्तारा | 764 / 0.002-चकमार्ग, 1082 / 0.<br>020-रास्ता 1099 / 0.020-गूल<br>1100 / 0.032-बंजर, 1104 / 0.<br>011-चकमार्ग, 1112 / 0.039 | | | |

उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेखों में अमल-दरामद किया जाये।

सं0 13 / डी0एल0आर0सी / 2020-21—शासनादेश संख्या 32 / 744 / एक-1-2016-20(5) / 2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35 / 740 / एक-1-2016-20(5) / 2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं संजीव रंजन, जिलाधिकारी सम्भल, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को जो अब तक उपरोक्त दिनांक के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 06 में उल्लिखित ग्राम धर्मपुर निकट ढाढौल, परगना व तहसील चन्दौसी के प्रबन्धन में निहित थी। गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना निर्माण हेतु फिर से अपने अधिकार में लेता हूं—

## अनुसूची

| क्र0 सं0 | जिला | तहसील | परगना | ग्राम | गाटा संख्या | क्षेत्रफल | भूमि की श्रेणी | विवरण प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनग्रहण की जा रही है |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | सम्भल | चन्दौसी | चन्दौसी | धर्मपुर निकट ढाढौल | 602 / 0.06-चकमार्ग, 95 / 0.001-चकमार्ग, 613 / 0.79-चकमार्ग, 614 / 0.077-सर्विस, रोड, 631 / 0.007-नाली, 632 / 0.027-चकमार्ग, 646 / 0.<br>029-नाली, 647 / 0.023-चकमार्ग | हेक्टेयर 0.249 | ग्राम समाज की भूमि | गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु निर्माण के लिये। |

उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेखों में अमल-दरामद किया जाये।

29 जून, 2021 ई0

सं0 14/डी0एल0आर0सी/2021-22–शासनादेश संख्या 32/744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं संजीव रंजन, जिलाधिकारी सम्भल, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को जो अब तक उपरोक्त दिनांक के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 06 में उल्लिखित ग्राम पंचायत अझरा, तहसील सम्भल के प्रबन्धन में निहित थी। गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना निर्माण हेतु फिर से अपने अधिकार में लेता हूं–

## अनुसूची

| क्र0 सं0 | जिला | तहसील | परगना | ग्राम | गाटा संख्या | क्षेत्रफल | भूमि की श्रेणी | विवरण प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहण की जा रही है |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | हेक्टेयर | | |
| 1 | सम्भल | सम्भल | सम्भल | अझरा | 154 | 0.051 | रास्ता | गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना निर्माण हेतु। |
| | | | | | 162 | 0.080 | रास्ता | |
| | | | | | 164 | 0.016 | नाली | |
| | | | | | 223 | 0.075 | चकमार्ग | |
| | | | | | 224 | 0.004 | नाली | |
| | | | | | 195 | 0.042 | नाली | |
| | | | | | 197-ख | 0.065 | रास्ता | |
| | | | | | 217 | 0.018 | नाली | |
| | | | | | 201 | 0.016 | चकमार्ग | |
| | | | | | 190 | 0.017 | नाली | |
| | | | | | 289 | 0.049 | आबादी | |
| | | | | | 290 | 0.070 | रास्ता | |
| | | | | | 291 | 0.012 | नाली | |
| | | | | | 295 | 0.014 | नाली | |
| | | | | | 334 | 0.113 | रास्ता | |
| | | | | | 114 | 0.012 | नाली | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | हेक्टेयर | | |
| 1 | सम्भल | सम्भल | सम्भल | अझरा | 113 | 0.014 | चकमार्ग | गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना निर्माण हेतु |
| | | | | | 297 | 0.022 | चकमार्ग | |
| | | | | | 357 | 0.170 | चकमार्ग | |
| | | | | | 358 | 0.070 | नाली | |
| | | | | | 353 | 0.033 | नाली | |
| | | | | | 373 | 0.001 | नाली | |
| | | | | | 372 | 0.002 | चकमार्ग | |
| | | | | | 367 | 0.014 | नाली | |
| | | | | | 366 | 0.011 | चकमार्ग | |
| | | | | | 362 | 0.032 | चकमार्ग | |
| | | | | | 361 | 0.004 | नाली | |
| | | | | **कुल योग. .** | | **1.027** | | |

उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेखों में अमल-दरामद किया जाये।

सं0 15/डी0एल0आर0सी/2020-21—शासनादेश संख्या 32/744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं संजीव रंजन, जिलाधिकारी सम्भल, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को जो अब तक उपरोक्त दिनांक के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 06 में उल्लिखित ग्राम पंचायत बंजरपुरी, तहसील सम्भल के प्रबन्धन में निहित थी। गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना निर्माण हेतु फिर से अपने अधिकार में लेता हूं–

## अनुसूची

| क्र0 सं0 | जिला | तहसील | परगना | ग्राम | गाटा संख्या/भूमि की श्रेणी | क्षेत्रफल | विवरण प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहण की जा रही है |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | हेक्टेयर | |
| 1 | सम्भल | सम्भल | सम्भल | बंजरपुरी | 158/0.256-रास्ता | 0.969 | गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना निर्माण हेतु। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सम्भल | सम्भल | सम्भल | बंजरपुरी | 28 / 0.009-नाली<br>155 / 0.050-नाली<br>33 / 0.012-चकमार्ग<br>35 / 0.010-नाली<br>170 / 0.002-रास्ता<br>186 / 0.011-मुख्य मार्ग<br>39 / 0.002-नाली<br>153 / 0.020-चकमार्ग<br>191 / 0.029-नाली<br>258 / 0.122-रास्ता<br>365 / 0.013-नाली<br>359 / 0.040-नवीन परती<br>392क / 0.141-रास्ता<br>497 / 0.001-चकमार्ग<br>537 / 0.010-नाली<br>525 / 0.015-नाली<br>552 / 0.027-चकमार्ग<br>519 / 0.028-चकमार्ग<br>508 / 0.022-नाली<br>574 / 0.009-नाली<br>482 / 0.035-चकमार्ग<br>531 / 0.038-चकमार्ग<br>542 / 0.007-नाली<br>539 / 0.060-खेल का मैदान | | |

उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेखों में अमल-दरामद किया जाये।

सं0 16/डी0एल0आर0सी/2021-22–शासनादेश संख्या 32/744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं संजीव रंजन, जिलाधिकारी सम्भल, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को जो अब तक उपरोक्त दिनांक के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 06 में उल्लिखित ग्राम पंचायत अचलपुर, तहसील चन्दौसी के प्रबन्धन में निहित थी। गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना निर्माण हेतु फिर से अपने अधिकार में लेता हूं–

**अनुसूची**

| क्र0 सं0 | जिला | तहसील | परगना | ग्राम | गाटा संख्या/भूमि की श्रेणी | क्षेत्रफल | विवरण प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहण की जा रही है |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | हेक्टेयर | |
| 1 | सम्भल | चन्दौसी | चन्दौसी | अचलपुर | 94मि0/0.008 नवीन परती | 0.008 | गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना निर्माण हेतु |

उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेखों में अमल-दरामद किया जाये।

सं0 17/डी0एल0आर0सी/2021-22–शासनादेश संख्या 32/744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं संजीव रंजन, जिलाधिकारी सम्भल, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को जो अब तक उपरोक्त दिनांक के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 06 में उल्लिखित ग्राम पंचायत करीमपुर, तहसील सम्भल के प्रबन्धन में निहित थी। गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना निर्माण हेतु फिर से अपने अधिकार में लेता हूं–

**अनुसूची**

| क्र0 सं0 | जिला | तहसील | परगना | ग्राम | गाटा संख्या | क्षेत्रफल | भूमि की श्रेणी | विवरण प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहण की जा रही है |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | हेक्टेयर | | |
| 1 | सम्भल | सम्भल | सम्भल | करीमपुर | 148 | 0.161 | चकमार्ग | गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु निर्माण के लिये। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | हेक्टेयर | | |
| 1 | सम्भल | सम्भल | सम्भल | करीमपुर | 167 | 0.013 | चकमार्ग | |
| | | | | | 168 | 0.017 | नाली | |
| | | | | | 170 | 0.027 | नाली | |
| | | | | | 173 | 0.021 | चकमार्ग | |
| | | | | | 194 | 0.009 | नाली | |
| | | | | | **कुल योग. .** | **0.248** | | |

उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेखों में अचल-दरामद किया जाये।

सं0 18/डी0एल0आर0सी/2021-22–शासनादेश संख्या 32/744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं संजीव रंजन, जिलाधिकारी सम्भल, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को जो अब तक उपरोक्त दिनांक के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 06 में उल्लिखित ग्राम पंचायत बिचपुरी, तहसील सम्भल के प्रबन्धन में निहित थी। गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना निर्माण हेतु फिर से अपने अधिकार में लेता हूं–

## अनुसूची

| क्र0 सं0 | जिला | तहसील | परगना | ग्राम | गाटा संख्या/भूमि की श्रेणी | क्षेत्रफल | विवरण प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहण की जा रही है |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | हेक्टेयर | |
| 1 | सम्भल | सम्भल | सम्भल | बिचपुरी | 42/0.043-चकमार्ग<br>40/0.011-चकमार्ग<br>41/0.029-मुख्यमार्ग<br>53/0.026-नाली<br>58/0.018-नाली<br>453/0.128-रास्ता<br>451/0.055-रास्ता | 0.762 | गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु निर्माण लिये। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सम्भल | सम्भल | सम्भल | बिचपुरी | 462 / 0.032-नाली | 0.762 | |
| | | | | | 463 / 0.006-चकमार्ग | | |
| | | | | | 507 / 0.032-मुख्यमार्ग | | |
| | | | | | 473 / 0.007-मुख्यमार्ग | | |
| | | | | | 577 / 0.133-मुख्यमार्ग | | |
| | | | | | 600 / 0.020-चकमार्ग | | |
| | | | | | 605 / 0.012-चकमार्ग | | |
| | | | | | 617 / 0.025-नाली | | |
| | | | | | 619 / 0.028-चकमार्ग | | |
| | | | | | 646 / 0.017-चकमार्ग | | |
| | | | | | 649 / 0.029-नाली | | |
| | | | | | 653 / 0.037-चकमार्ग | | |
| | | | | | 526 / 0.007-नाली | | |
| | | | | | 527 / 0.007-चकमार्ग | | |
| | | | | | 472-क / 0.018-रास्ता | | |
| | | | | | 506-क / 0.004-रास्ता | | |
| | | | | | 614 / 0.038-मुख्य मार्ग | | |
| | | | | | **कुल योग. .** | **0.762** | |

उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेखों में अमल-दरामद किया जाये।

संजीव रंजन,
जिलाधिकारी सम्भल (बहजोई)।

## कार्यालय, चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

14 जुलाई, 2021 ई0

सं0 2906 / जी0-229 / 2021-22 / धारा 6(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा-6 की उपधारा(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 8313 / आई0ए0-813 / 1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश तहसील हसनपुर, जनपद अमरोहा के ग्राम सुंगाठेर में उपर्युक्त अधिनियम की धारा 4क(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या 1096 / जी0-610 / 2012, दिनांक 21 फरवरी, 2018 एतद्द्वारा निरस्त करता हूं।

सं0 2907 / जी0-250 / 64—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा-6 की उपधारा(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 8313 / आई0ए0-813 / 1954, दिनांक 19 अक्टूबर,

1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश तहसील नकुड़, जनपद सहारनपुर के ग्राम सालारपुरा में उपर्युक्त अधिनियम की धारा 4क(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या 2656/जी0-610/2012, दिनांक 11 जुलाई, 2014 एतद्द्वारा निरस्त करता हूं।

28 जुलाई, 2021 ई0

सं0 3077/जी0-213/63-2021—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा-52 (1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूं कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील कासगंज, परगना सोरों, जनपद कासगंज के ग्राम तिम्बरपुर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

29 जुलाई, 2021 ई0

सं0 3105/जी0-201/91—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा-52 के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूं कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील लालगंज, परगना कन्तित, जनपद मीरजापुर के ग्राम बड़ौही तप्पा उपरौध में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 3102/जी0-163A/67—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा-52 के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूं कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील हमीरपुर, परगना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर के ग्राम टिकरौली में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 3103/जी0-155/67(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा-52 के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूं कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना बिसवां, जनपद सीतापुर के ग्राम भुइलाकलां में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

11 अगस्त, 2021 ई0

सं0 3297/जी0-164/59-06—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा-52 के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूं कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील मंझनपुर, परगना अथरवन, जनपद कौशाम्बी के ग्राम थांभा में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

25 अगस्त, 2021 ई0

सं0 3461/जी0-201/91(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954

ई0) की धारा-52 के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूं कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील लालगंज, परगना कन्तित, जनपद मीरजापुर के ग्राम गढ़वा तप्पा उपरौध में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

सं0 3467/जी0-324/2020-21/धारा 6(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा-52 के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश तहसील बदायूं, जनपद बदायूं के ग्राम उलाई खेड़ा खाम में उपर्युक्त अधिनियम की धारा 4क(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या 1262/जी0-610/2012, दिनांक 25 मार्च, 2015 एतद्द्वारा निरस्त करता हूं।

02 सितम्बर, 2021 ई0

सं0 3592/जी0-152/90/2011—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा-52 (1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश संख्या 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूं कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील लम्भुआ, परगना चांदा, जनपद सुलतानपुर के ग्राम लखनपुर में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी हैं।

07 सितम्बर, 2021 ई0

सं0 3693/जी0-355/2021-22/धारा 6(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा-6 की उपधारा(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 8313/आई0ए0-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश तहसील अमरोहा जनपद अमरोहा के ग्राम सलारपुर खालसा में उपर्युक्त अधिनियम की धारा 4क(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या 1881/जी0-355/60-08, दिनांक 20 अगस्त, 2008 एतद्द्वारा निरस्त करता हूं।

बी0 राम शास्त्री,
चकबन्दी संचालक,
उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0—32 हिन्दी गजट—भाग 1-क—2021 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

# सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

**प्रयागराज, शनिवार, 6 नवम्बर, 2021 ई० (कार्तिक 15, 1943 शक संवत्)**

**भाग 8**

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैंने शादी के बाद अपना नाम "पूजा साहू" से बदलकर "पूजा राठौर" रख लिया है। अब मुझे भविष्य में "पूजा राठौर" के नाम से जाना, पहचाना जाये।

पूजा राठौर,
पत्नी राजेश कुमार राठौर,
निवासी मोहल्ला सतवा बुजुर्ग,
साहित्यपुरम कालोनी, निगोही रोड,
जनपद शाहजहांपुर (उ0प्र0)।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स साई एक्सिम, पता 231 श्री नगर रेलवे रोड, जिला हापुड़, उत्तर प्रदेश की पार्टनरशिप डीड दिनांक 01 अप्रैल, 2021 को हुई थी। जिसके अनुसार हमारी फर्म में पहले दो पार्टनर थे। (1) श्री अमर त्यागी पुत्र श्री राजेश्वर दयाल त्यागी (2) श्री प्रणव गर्ग पुत्र श्री राकेश गर्ग थे। पार्टनरशिप डीड दिनांक 07 अक्टूबर, 2021 के अनुसार फर्म में नई साझीदार श्रीमती पुष्पा त्यागी पत्नी श्री राजेश्वर दयाल त्यागी स्वेच्छा से इस फर्म में नये साझेदार आई हैं तथा अब इस फर्म में क्रमशः तीन साझेदार हो गये हैं। (1) श्री अमर त्यागी पुत्र श्री राजेश्वर दयाल त्यागी (2) श्री प्रणव गर्ग पुत्र श्री राकेश गर्ग (3) श्रीमती पुष्पा त्यागी पत्नी श्री राजेश्वर दयाल त्यागी साझेदार हो गये हैं।

अमर त्यागी,
साझेदार।

पी0एस0यू0पी0–32 हिन्दी गजट–भाग 8–2021 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।